1323

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक प.4(32) वित्त/राजस्व/2010 जयपुर, दिनांक 22 JUL 2010

आयुक्त,
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

ADDI (INS)

विषयः—नेत्रहीन एवं विकलांग कर्मचारियों पर बीमा योजना में उनके वेतन खण्ड दर पर लागू दर से अधिक प्रीमियम देने के संबंध में।
सदर्भः—आपका पत्रांक एफ.32/बीमा/व्यय एवं प/81—82/250 दिनांक 17.06.2010

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि इस विभाग के पत्रांक प.4(25)वित्त/रा.ले.—1/79 दिनांक 04.12.81 द्वारा नेत्रहीन कर्मचारियों को बीमा पॉलिसी जारी करने एवं इस विभाग के पत्रांक प.4(7) वित्त/रा.ले.—1/93 दिनांक 25.02.94 द्वारा विकलांग कर्मचारियों के जीवन पर बीमा पॉलिसी जारी करने की अनुमति प्रदान की गई थी।

अतः उक्त पत्रों की निरन्तरता एवं संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के परिपेक्ष्य मे नेत्रहीन एवं विकलांग कर्मचारियों की नियुक्ति निर्धारित कोटे के अनुसार होने तथा उनका जीवन भी अन्य कर्मचारियों की तरह सामान्य जीवन मानते हुए उनके वेतन खण्ड पर लागू दर से अधिक 1—2 स्लेब आगे तक प्रीमियम स्वीकार किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती हैं।

यह स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त सहमति के अनुसरण मे जारी की जाती है।

भवदीय

विशेषाधिकारी

कार्यालय आयुक्त,राज्यबीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग
मुख्यालय जयपुर.

क्रमांक/एफ– 32/बीमा/व्य.प./81–82/364/434 दिनांकः– 30/7/2010

कार्यालय निर्देश संख्या–2/2010–11

वित्त विभाग के पत्र संख्या–प–4/(32) वित्त/ राजस्व/ 2010 /दि. 22.07.2010 (प्रति संलग्न) दवारा लिये गये निर्णय अनुसार निर्देश दिये जाते हैं कि अब विकलांग एवम् नेत्रहीन कर्मचारियों के जीवन को भी सामान्य जीवन मानकर जारी बीमा पॉलिसी पर उनके वेतन खण्ड पर लागु दर से अधिक प्रीमियम देने का विकल्प मान्य होगा।

परन्तु ऐसे कर्मचारियों को अन्य कोई गम्भीर रोग हो तो अन्य कर्मचारियों की भॉति बीमा नियम 1998 के नियम–11 के उप निये 4 प्रत्येक अतिरिक्त बीमा प्रारूप सं. 1 में यह अतिरिक्त घोषण करने अध्यधीन होगा कि पॉलिसी धारक नियम 8(3) में यह उल्लेखित किन्हीं भी रोगों से ग्रसित नहीं था।

अधिक जौखिम हेतु बीमा नियम–1998 के नियम–11(I) (II) एवम् 11 (2) के अन्तर्गत वृद्धि शील वसूलियॉ आगामी मार्च माह से की जावेगी। पूर्व तिथि से अधिक कटौति कराये जाने का बीमा नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

आयुक्त

क्रमांक/एफ– 32/बीमा/व्य.प./81–82/364/434 दिनांकः– 30/7/2010

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

(01) निजी सहायक, आयुक्त महोदय।
(02) समस्त अतिरिक्त निदेशक, मुख्यालय जयपुर।
(03) समस्त संयुक्त निदेशक, मुख्यालय जयपुर
(04) सभी सम्भागीय संयुक्त निदेशक सम्भाग कार्यालय राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग ——————
(05) उप/सहायक निदेशक, राज्यबीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग जिला कार्यालय ——————
(06) रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक ~~(बीमा)~~
राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग